फैक्स/ ई-मेल

संख्या- 40 / 2019 / 458 पी /छः-पु-6-2019-300 (25) /2012

प्रेषक,

भगवान स्वरूप
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
प्रयागराज।

गृह पुलिस अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 05 मार्च, 2019

विषयः **जनपद अलीगढ के थाना जवां के अन्तर्गत पुलिस चौकी गोधा को उच्चीकृत कर नवीन थाना की स्थापना के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि जनपद अलीगढ के थाना जवां के अन्तर्गत पुलिस चौकी गोधा को उच्चीकृत कर नवीन थाना की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के पत्र संख्या-3/क-66-2012 दिनांक 12-03-2018 व पत्र संख्या-3/क-66-2012 दिनांक 09-01-2019 एवं जिलाधिकारी, अलीगढ के आदेश संख्या-549(3) /डी0एल0आर0सी0 दिनांक 30-08-2018 व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ के पत्रांक- प-110/2018 दिनांक 30-08-2018 द्वारा जनपद अलीगढ के थाना जवां के अन्तर्गत पुलिस चौकी गोधा को उच्चीकृत कर नवीन थाना बनाने हेतु 13 बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

2- प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के उक्त पत्र/ जिला प्रशासन, अलीगढ व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ के उक्त पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव /सूचना के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद- **अलीगढ** के उक्त क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था को और सुदृढ करने तथा अपराधों पर और अधिक प्रभावी तरीके से अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त **श्री राज्यपाल महोदय जनपद अलीगढ के थाना जवां के अन्तर्गत पुलिस चौकी गोधा को उच्चीकृत कर नवीन थाना की स्थापना किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

3- कृपया तद्नुसार उपर्युक्त नवीन थाना की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- प्रकरण में उक्त थाना में जनशक्ति/ पदों के सृजन आदि के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय
भगवान स्वरूप
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 40 / 2019 / 458 (1) पी /छः-पु-6-2019-300 (25) /2012 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/ प्रशासन/स्थापना/कानून-व्यवस्था/तकनीकी सेवाएं/ लाजिस्टिक/ पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड/ अभिसूचना/ ई0ओ0डब्लू/ एस0टी0एफ0/ ए0टी0एस0/ यू0पी0-100/टेलीकोम/ विजिलेंस/ भ्र0नि0सं0/विशेष जांच/यातायात/ पी0ए0सी0/ एस0आई0टी0/ सी0बी0सी0आई0डी0/रूल्स एण्ड मैनुअल/ मानवाधिकार/ जी0आर0पी0/ फायर सर्विस/ सुरक्षा/महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
4. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक (जोन)।
5. संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र)।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
9. वित्त ई 12/ गृह पुलिस-8
10. गृह पुलिस -7 उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों से अवगत होते हुए अपने अनुभाग से अपेक्षित कार्यवाही (निर्माण/बजट संबंधी) समयबद्व रूप से सुनिश्चित कराते हुए इस अनुभाग को भी प्रगति से यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
12. गृह नियंत्रण कक्ष उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों को फैक्स/ ई-मेल संबंधित समस्त को किये जाने एवं इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड बुक/ सम्बन्धित स0अ0 (shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड हेतु)

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।